



न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी - सुनीता बेड़ा, आर.जे.एस.
(डी.जे. कैडर)

विविध दांडिक प्रकरण संख्या - 198/2026 (सी.आई.एस सं. 144/2026)

सी.एन.आर. संख्या - RJHG060004172026

1. भागाराम उर्फ भागनाथ पुत्र निकूनाथ, उम्र-47 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 06, चक 10 केडब्ल्यूडी, भाखरावाला, पुलिस थाना रावतसर, हाल खेत रामलाल, रोही खेदासरी, पुलिस थाना व तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. मानक नाथ उर्फ माणका पुत्र निकूनाथ, उम्र-50 वर्ष, निवासी-वार्ड नंबर 06, चक 10 केडब्ल्यूडी, भाखरावाला, पुलिस थाना रावतसर, हाल खेत रामलाल, रोही खेदासरी, पुलिस थाना व तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

--प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

--अप्रार्थी--

प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-483 भा.ना.सु.सं. प्राथमिकी सं. 258/2026 पुलिस थाना रावतसर, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2) 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी /एसटी एक्ट

उपस्थित:-

- 1- श्री हर्षदेव भिड़ासरा- विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
- 2- श्री पवन श्रीवास्तव-विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य पक्ष।
- 3- श्री प्रदीप सिंह परमार-विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष।

-- आदेश: --

दिनांक:-04.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त भागाराम उर्फ भागनाथ एवं मानकनाथ उर्फ माणका की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को नियमानुसार दिलाई गई। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा परिवादी को नियमानुसार सूचना देना जाहिर किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 12.05.2026 को राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में जैर इलाज भर्ती परिवादी मघाराम ने पुलिस के समक्ष एक पचा बयान दिया, जिस पर हस्तगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट पुलिस थाना रावतसर में दर्ज हुई और इस मामले में अब तक के



अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी /एसटी एक्ट के अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए गए हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया हुआ है तथा यह प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के अधीन चल रहा है। हस्तगत मामले की पत्रावली पर मौजूद तथ्योंनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है-

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	पुलिस थाना	धारा	पुलिस नतीजा	अन्य विवरण
शून्य					

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि उनके विरुद्ध यह मुकदमा झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है जो दिनांक 30.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर एससी/एसटी एक्ट के अलावा शेष सभी आरोप जमानतीय प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण के अन्य मुलजिमान के साथ जेल में रहने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अंत में उन्होंने इन सब तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने निवेदन किया कि मजरूब जो कि अधिक उम्र का व्यक्ति है उसके साथ अत्यधिक बुरी तरह से मारपीट की गई है और उसका पैर तोड़ दिया गया। उसे जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित किया गया है। यदि उन्हें जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे पुनः परिवादी के साथ मारपीट करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट के आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई। केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि अनुसंधान अधिकारी ने अब तक अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी /एसटी एक्ट के आरोप प्रमाणित माने हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 30.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उनके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने की रिपोर्ट केसडायरी पर उपलब्ध है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भागाराम उर्फ भागनाथ एवं मानकनाथ उर्फ मानका की ओर से धारा 483 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र एतद्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त यदि अपनी नियमित उपस्थिति बाबत चालीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक मौतबिर



जमानत इस न्यायालय के संतोषप्रद समाधान हेतु प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे तो उक्त प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

ह 0/-

(सुनीता बेड़ा)

विशिष्ट न्यायाधीश

एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)

हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 04.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह 0/-

(सुनीता बेड़ा)

विशिष्ट न्यायाधीश

एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)

हनुमानगढ़

मूल से मिलान किया गया।